विभाग में संचालित योजनाओं का विवरण

क– गैर अनुदानित योजनाओं का सार

1– माडल चाकी कीटपालन हेतु शहतूत उद्यान की स्थापना

- शहतूत नर्सरी की स्थापना, वृक्षारोपण से सम्बन्धित रख–रखाव के कार्य।
- शहतूती फार्मों पर उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का रख–रखाव, मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं अन्य विकास कार्य।
- कीटपालन हेतु विशुद्धीकारक, फार्म सम्बन्धित उपकरणों का क्रय एवं रख–रखाव, जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

2– टसर रेशम विकास की योजना

- अर्जुन नर्सरी की स्थापना, वृक्षारोपण से सम्बन्धित रख–रखाव के कार्य।
- टसर फार्मों पर उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का रख–रखाव, मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं अन्य विकास कार्य।
- कीटपालन हेतु विशुद्धीकारक, फार्म सम्बन्धित उपकरणों का क्रय एवं रख–रखाव, जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- टसर कीटों का नायलान नेट में चाकी कीटपालन कराते हुए स्थानीय कृषकों को प्रोढ़ावस्था कीटपालन हेतु कीटों की आपूर्ति।

3– जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना

- जनपद स्तर पर कृषक मेला/गोष्ठियों का आयोजन कर नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अनावासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- डा0 राममनोहर लोहिया रेशम उत्पादकता पुरस्कार के अन्तर्गत उत्कृष्ट रेशम उत्पादन करने वाले कृषको एवं उद्यमियों को रू0 11,000.00 की धनराशि का बैंक ड्राफट एवं प्रशस्ति–पत्र राज्यस्तरीय आयोजित सिल्क एक्सपों में उपलब्ध कराना।

4– रेशम अनुसंधान एवं विकास की योजना

- शहतूत, अर्जुन एवं अरण्डी वृक्षारोपण हेतु जलवायु के आधार पर उन्नत प्रजाति की पौध एवं रेशम कीटपालन के समय कीटों में लगने वाली बीमारियों के विभिन्न पहलुओं पर शोध।

5– प्रादेशिक को–आपरेटिव सेरीकल्चर लि0 को सहायता

- मा0 अध्यक्ष, प्रादेशिक को–आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन के मानदेय, यात्रा व्यय एवं चिकित्सा सुविधा आदि पर होने वाला व्यय।

6– रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना

- बीजू कीटपालन केन्द्रों एवं बीजागारों में कीटाण्ड उत्पादन के लिये आवश्यक विशुद्धीकारक तथा कीटाण्ड उत्पादन से सम्बन्धित विविध सामग्री का क्रय करना।
- बीजू रेशम फार्मो/ पी–1 केन्द्रों का रख–रखाव तथा बीजागार संचालन हेतु प्रयुक्त श्रमिकों का भुगतान।
- केन्द्रीय रेशम बोर्ड से क्रय किये गये बीजू कोये एवं रेशम कीाटाण्डों के मूल्य का भुगतान।

7– एरी रेशम विकास की योजना

- एरी फार्मो पर उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का रख–रखाव, मरम्मत, सुदृद्धीकरण, अन्य विकास कार्य एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- कीटपालन हेतु विशुद्धीकारक एवं फार्म सम्बन्धित उपकरणों का क्रय एवं रख–रखाव।
- अरण्डी वृक्षों पर होने वाले रोगों के नियंत्रण हेतु संबंधित औषधियों एवं उपकरणों का क्रय।

8– नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेशम उत्पादन द्वारा रोजगार सृजन

- नक्सल से अत्यधिक प्रभावित ग्रामों में कृषकों का चयन कर उनसे रेशम क्रिया कलाप प्रारम्भ कराकर रेशम कीटपालन के माध्यम से समाज की मुख्यधारा में जोड़ना।
- नक्सल प्रभावित जनपदों के फार्मो पर उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का रख–रखाव, मरम्मत, सुदृढ़ीकरण, अन्य विकास कार्य एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- नक्सल प्रभावित जनपदों में कीटपालन हेतु विशुद्धीकारक एवं फार्म सम्बन्धित उपकरणों का क्रय एवं रख–रखाव।

<u>ख– अनुदानित योजनाओं का सार</u>

1– कैटालिटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर सेरीकल्चर

- योजनान्तर्गत भारत सरकार के केन्द्रीय रेशम बोर्ड, राज्य सरकार एवं चयनित लाभार्थियों से वित्तीय स्रोतों का समावेश करते हुए कार्यान्वयन हेतु निहित सूक्ष्म परियोजनाओं के अनुरूप विभिन्न निर्धारित कार्यक्रमों द्वारा धनराशि का व्यय किया जाना।
- निर्धारित कार्यक्रम में शहतुत, टसर, एरी कृषकों को कीटपालन गृह एवं सिंचाई सुविधा के अन्तर्गत अनुदान, चाकी भवनों की मरम्मत एवं टसर सेक्टर में बीजागार भवन निर्माण तथा एरी कीटपालकों को कीटपालन उपकरण उपलब्ध कराया जाना।
- पोस्ट ककून सेक्टर में चयनित विभिन्न सूक्ष्म परियोजनाओं यथा–बाईवोल्टीन रीलिंग धागा प्रोत्साहन, हैण्डलूम उच्चीकरण एवं कम्प्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाइन से सम्बन्धित कार्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड की इकाई वस्त्र प्रयोगशाला वाराणसी की सहायता से किया जाना।